

16	उत्तम चारा उत्पादन योजना	जिन कृषकों के पास अपनी कृषि भूमि है वह इस योजना के तहत मिलने वाले अनुदान के पात्र हैं।	किसानों को उपदान दरों पर घास के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बी0पी0एल0 किसानों को चारा काटने की मशीन पर 50 प्रतिशत उपदान की सुविधा दे रही है। इस योजना में प्रदेश सरकार द्वारा अजोला घास की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सरकार किसानों को पिट बनाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान दे रही है।।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	किसान कृषि अनुदान पर्चा विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) से सत्यापित करवाकर कृषि सामग्री पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।	निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/विषयवाद विशेषज्ञ (खण्ड स्तर पर)।	सामान्य आवेदन
----	--------------------------	--	---	--------------------------	--	--	---------------